41–(08)–116–2020

पटना में दिनांक–26 जून, 2020 शुक्रवार को अपराह्न 4:30 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

1.	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, बिहार सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन॰सी॰सी॰) निदेशालय, बिहार, पटना एवं उनके अधीनस्थ एन॰सी॰सी॰ कार्यालयों के बिहार एन॰सी॰सी॰ लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, सेवाशर्त्त एवं स्थानान्तरण/पदस्थापन) नियमावली, 2020'' की स्वीकृति के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

2.	कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु गृह मंत्रालय, भारत सरकार से निर्गत निदेश के आलोक में देशभर में लागू लॉकडाउन के मद्देनजर व्यावसायिक पैसेन्जर वाहन एवं मालवाहक वाहन के वाहन स्वामियों को तिमाही अवधि का पथकर दिनांक–31.07.2020 तक जमा किये जाने पर देय कर में 40 प्रतिशत एकमुश्त छूट दिये जाने एवं अर्थदण्ड माफ करने के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

परिवहन विभाग

3.	सभी प्रकार के कर प्रमादी निबंधित वाहन (सरकारी वाहन सहित), जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है अथवा वाहनों को नष्ट कर दिया गया है अथवा कबाड़ी के हाथों बेच दिया गया है अथवा रखे–रखे विनष्ट हो गये हैं अथवा अन्य किसी तकनीकी कारणों से परिचालन के योग्य नहीं रहा हो अथवा ऐसे निजी या व्यावसायिक वाहन, जो परिचालन योग्य हों, परन्तु 15 वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण वाहन स्वामी उपर्युक्त वाहन को विनष्ट करने हेतु निबंधन रद्द कराना चाहते हों, वैसे वाहनों को बकाये कर एवं अर्थदण्ड में राहत देने हेतु एक (01) वर्ष की अवधि के लिए सर्वक्षमा देते हुए वाहनों का निबंधन रद्द करने की स्वीकृति के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

4.	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के अंतर्गत बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें), नियमावली, 2013 को संशोधित करते हुए ''बिहार वनों के क्षेत्र पदाधिकारी संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्तें) (संशोधन) नियमावली, 2020'' की स्वीकृति के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

5.	समस्तीपुर न्यायमंडल के अंतर्गत शाहपुर पटोरी में फौजदारी न्यायालय हेतु अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद एवं न्यायिक दंडाधिकारी के 01 (एक) पद कुल 02 (दो) पदों के सृजन की स्वीकृति।	5.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

6.	श्री आलोक कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 1148/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, बक्सर सम्प्रति अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, शेरघाटी, गया की "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के संबंध में।	6.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

7.	श्री अरविन्द कुमार मिश्र (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 719/11, तत्कालीन जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, कैमूर सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, सीतामढ़ी की "अनिवार्य सेवानिवृत्ति" के संबंध में।	7.	**स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

8.	प्रसिद्ध विचारक एवं स्वतंत्रता सेनानी स्व० पं० दीन दयाल उपाध्याय की जयंती प्रत्येक वर्ष 25 सितम्बर को पटना (बिहार) में राजकीय समारोह के रूप में मनाये जाने के संबंध में।	8.	**स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

9.	राजकीय तिब्बी कॉलेज एवं अस्पताल, पटना के कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना अलग–अलग करने के संबंध में।	9.	**स्वीकृत।**

श्रम संसाधन विभाग

10.	बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के आलोक में राज्य परामर्शदातृ समिति द्वारा कारखाना निरीक्षणालय (तकनीकी सहित) एवं वाष्पित्र निरीक्षणालय के कार्यालयों के लिए आशुलिपिक/आशुटंकक संवर्ग में 24 पद, लिपिक संवर्ग में 62 पद एवं कार्यालय परिचारी संवर्ग में 49 पद तथा वाष्पित्र निरीक्षणालय में लिपिक संवर्ग के 03 पद, कार्यालय परिचारी संवर्ग के 05 पद कुल–143 पदों के पुनर्गठन/चिन्हित करने के संबंध में।	10.	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

11.	बिहार मूल्यवर्द्धित कर नियमावली, 2005, बिहार होटल विलास वस्तु कराधान नियमावली, 1988, बिहार मनोरंजन कर नियमावली, 1984, बिहार विज्ञापन पर कर नियमावली, 2007, बिहार स्थानीय क्षेत्रों में मालों के प्रवेश पर कर नियमावली, 1993, तथा बिहार पेशा कर नियमावली, 2011 के अधीन संशोधन।	11.	**स्वीकृत।**

वाणिज्य–कर विभाग

12.	माल और सेवा कर प्रणाली लागू होने के फलस्वरूप राज्य की समेकित जाँच चौकियों पर वाणिज्य–कर विभाग का कार्य बंद हो जाने के कारण बिहार वित्त सेवा सम्वर्ग के पदाधिकारियों के कार्यालयवार स्वीकृत बल के पुनर्निर्धारण के संबंध में।	12.	**स्वीकृत।**

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

14.	वित्तीय वर्ष 2020–21 में कॉम्फेड के अधीनस्थ बिहार राज्य स्थित 8 दुग्ध संघों एवं 2 डेयरी इकाईयों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) की वित्तीय सहायता से स्थापित किये जा रहे 15 परियोजनाओं में से शेष बचे 10 परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु राज्य स्कीम के तहत सहायक अनुदान के रूप में कुल रू० 47.6968 करोड़ (रूपये सैंतालीस करोड़ उन्नहत्तर लाख अड़सठ हजार) मात्र बिहार आकस्मिकता निधि (BCF) से अग्रिम के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति।	14.	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

15.	बिहार राज्य में पेट–कोक एवं फर्नेस ऑयल के उपयोग को विनियमित करने हेतु "ईंधन नीति" का अनुमोदन।	15.	**स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

16.	नगर विकास एवं आवास विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको) अन्तर्गत पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पम्पिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण के लिए विभिन्न कोटि के स्वीकृत कुल–504 तकनीकी/ गैर तकनीकी पदों में से 43 तकनीकी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग में सृजित करने की स्वीकृति।	16.	**स्वीकृत।**

ऊर्जा विभाग

17.	लॉकडाउन की अवधि में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को Fixed Charge के भुगतान से पूर्ण छूट देने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।	17.	**स्वीकृत।**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग

18.	बिहार संग्रहालय, पटना (राज्य सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत सोसायटीज निबन्धन अधिनियम–1860 के अधीन निबंधित एक स्वायत्त शासी संस्थान) के उप निदेशक (पुरावस्तु) के दो पदों में से एक का कार्यपालक अभियंता के रूप में संपरिवर्तन/स्वरूप में परिवर्तन की स्वीकृति के संबंध में।	18.	**स्वीकृत।**

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

19. राज्य कैम्पा योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2020–21 में कुल ₹16515.84 लाख (एक सौ पैंसठ करोड़ पन्द्रह लाख चौरासी हजार रूपये मात्र) बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **19. स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

21. मधेपुरा जिलान्तर्गत मुरलीगंज अंचल के मौजा– जीतापुर एराजी, थाना सं०–190, खाता सं०–11 के विभिन्न खेसराओं की कुल रकबा–8.00 एकड़ अनावाद बिहार सरकार के भूमि को सःशुल्क आधार पर 1,80,00,000/–(एक करोड़ अस्सी लाख) रू० के भुगतान पर (भूमि विवरणी एवं राशि की गणना परिशिष्ट–I संलग्न) के भुगतान पर 132/33 के०बी० ग्रीड उपकेन्द्र के निर्माण हेतु बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को हस्तान्तरण के संबंध में। — **21. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

22. भूतही बलान बॉया तटबंध के कि०मी० 25.00 से कि०मी० 31.610 तक तटबंध के विस्तारीकरण कार्य, जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 4843.68 लाख (अड़तालिस करोड़ तैतालिस लाख अड़सठ हजार) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **22. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

23. कमला बलान बायां तटबंध एवं दायां तटबंध का उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण एवं पक्कीकरण कार्य फेज–1 (पीपराघाट पुल से ठेंगहा पुल तक) – कमला बलान बायां तटबंध के कि०मी० 27.10 से कि०मी० 66.30 एवं कमला बलान दायां तटबंध के कि०मी० 23.20 से कि०मी० 64.00 तक जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 32512.32 लाख (तीन सौ पच्चीस करोड़ बारह लाख बत्तीस हजार) है, के प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **23. स्वीकृत।**

जल संसाधन विभाग

24. पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के 5th पुनरीक्षित प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि रू० 2372.5280 करोड़ (तेईस सौ बहत्तर करोड़ बावन लाख अस्सी हजार) मात्र है, की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव। — **24. स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

25.	भारत–चीन लद्दाख सीमा पर हुई झड़प में शहीद हुए बिहार निवासी जवानों के परिवार के एक सदस्य को बिहार सरकार के अधीन नियुक्त करने के संबंध में।	**25.**	**स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

26.	बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 में संशोधन।	**26.**	**स्वीकृत।**